इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2026–कार्तिक 20, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2026

क्रमांक एफ ए-3-02/2017/1/पांच(23) : मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 109 क और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-19-2017-1-पांच (28), भोपाल दिनांक 24 जून, 2017 एवं एफ ए-3-21-2017-1-पांच (30), भोपाल दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 107 के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत करती है। अपील प्राधिकारियों को आवंटित क्षेत्र से संबंधित समस्त अपील प्रकरण, जिनमें एंटी इवेजन ब्यूरो, टैक्स ऑडिट विंग द्वारा की गई कार्यवाहियों से उद्भूत एवं लंबित प्रकरण भी सम्मिलित है, का निराकरण संबंधित अपील प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इनमें सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109क के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त या अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा, अर्थात्–

: : सारणी : :

अ.क्र.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र	मुख्यालय
1	2	3	4
1	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, इन्दौर-1	इन्दौर संभाग-1 तथा इंदौर संभाग-3 के वृत्त-12, वृत्त-13 का क्षेत्र	इंदौर
2	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, इन्दौर-2	इन्दौर संभाग-2 तथा इंदौर संभाग-3 के वृत्त-7 वृत्त-8 एवं वृत्त-9 का क्षेत्र	इंदौर
3	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, उज्जैन	उज्जैन संभाग, खंडवा संभाग, रतलाम संभाग	उज्जैन
4	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, भोपाल	भोपाल संभाग-1, भोपाल संभाग-2,	भोपाल
5	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, ग्वालियर	ग्वालियर संभाग-1, ग्वालियर संभाग-2,	ग्वालियर
6	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, जबलपुर	जबलपर संभाग-1, जबलपुर संभाग-2,	जबलपुर
7	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, छिंदवाड़ा	छिदंवाड़ा संभाग	छिंदवाड़ा
8	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपील प्राधिकारी, सतना	सतना संभाग, सागर संभाग	सतना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ जैन, उपसचिव.

क्र. एफ ए 3–02–2017–1–पांच भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना कमांक एफ ए 3–02/2017/1/पांच (23) , दिनांक 11 नवम्बर, 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 11th November 2026

No. F A 3-02/2017/1/V(23) : In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with Rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, and in pursuance of this Department's Notification No. F A-3-19-2017-1-Five (28), Bhopal dated June 24, 2017, and F A-3-21-2017-1-Five (30), Bhopal dated June 24, 2017, and superseding all earlier notifications issued by this Department, the State Government hereby authorizes the officers specified in column (2) of the Table below to act as Appellate Authorities for hearing appeals under Section 107 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 for the specified area (territorial jurisdiction) mentioned in column (3). All appeal cases pertaining to the assigned area, including pending cases and those arising from actions taken by the Anti-Evasion Bureau and Tax Audit Wing, shall be disposed of by the respective Appellate Authority.

The officers specified in column (2) of the Table shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred or imposed upon an Appellate Authority under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

:: **TABLE** ::

S.No.	Designation of the Officer	Area	Headquarter
1	2	3	4
1	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Indore-1	Indore Division-1 and the areas of Circle-12 and Circle-13 of Indore Division-3	Indore
2	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Indore-2	Indore Division-2 and the areas of Circle-7, Circle-8 and Circle-9 of Indore Division-3	Indore
3	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Ujjain	Ujjain Division, Khandwa Division, Ratlam Division	Ujjain
4	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Bhopal	Bhopal Division-1, Bhopal Division-2	Bhopal
5	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Gwalior	Gwalior Division-1, Gwalior Division-2	Gwalior
6	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Jabalpur	Jabalpur Division-1, Jabalpur Division-2	Jabalpur
7	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Chhindwara	Chhindwara Division	Chhindwara
8	State Tax, Joint Commissioner & Appellate Authority, Satna	Satna Division, Sagar Division	Satna

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SIDDHARTH JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.